B A Part II Sub...

(1)

Indian Prime Minister

Methods b. ...

भारतीय संविधान के अन्तर्गत स्पष्ट रूप से ब्रिटिश प्रधानमंत्री की तरह ही
प्रधानमंत्री के पद का प्रावधान है। लेकिन ब्रिटिश एवं भारतीय प्रधानमंत्री
के पद में अन्तर - यह है कि जहाँ ब्रिटेन में प्रधानमंत्री के पद का
कोई संवैधानिक आधार नहीं है, वहीं भारतीय प्रधानमंत्री के पद का
संवैधानिक आधार है। भारतीय संविधान की धारा 74 के अन्तर्गत यह
व्यवस्था की गई है कि राष्ट्रपति के कार्यसम्पादन में सहायता एवं परामर्श
देने के लिए एक मंत्रिपरिषद् की व्यवस्था की गई है जिसका प्रधान
प्रधानमंत्री होता है। इस प्रकार भारतीय शासन व्यवस्था में प्रधानमंत्री का
पद सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। वह भारतीय संसदीय शासन प्रणाली का
वास्तविक प्रधान है। डॉ. अम्बेडकर ने कहा था कि "यदि हम
अपने संविधान की किसी शासन-अधिकारी की तुलना अमेरिका अध्यक्ष
से करें तो वह निश्चित रूप से प्रधानमंत्री है, राष्ट्रपति नहीं।" प्रो. के.टी.
शाह ने कहा था कि - "प्रधानमंत्री की शक्तियों को देखकर मुझे ऐसा
लगता है कि यदि वह चाहे तो किसी समय देश का अधिनायक
बन सकता है।" संविधान के अनुच्छेद 75(1) में कहा गया है कि
प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा।" संविधान के अनुच्छेद
8 में प्रधानमंत्री के कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है।

संविधान के अनुच्छेद 75 के अनुसार प्रधानमंत्री
की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा होती है। राष्ट्रपति अपनी रुचि तथा
इच्छा से किसी व्यक्ति को प्रधानमंत्री नहीं बना सकता। वह
उसी व्यक्ति को प्रधानमंत्री नियुक्त करता है जो लोकसभा में बहुमत
दल का नेता होता है। अतः लोकसभा में बहुमत दल के नेता
को प्रधानमंत्री बनाना इसलिए आवश्यक है कि वह (प्रधानमंत्री)
लोकसभा के समर्थन के बिना अपना शासन नहीं चला सकेगा।
अतः राष्ट्रपति बहुमत दल के नेता को ही प्रधानमंत्री-पद के लिए
मनोनीत करता है।

लेकिन कुछ ऐसी विशेष परिस्थितियाँ हैं जब राष्ट्रपति को नियुक्ति में स्वविवेक से काम करना पड़ सकता है। ऐसी परिस्थितियाँ निम्नलिखित हैं:-

(i) जब लोकसभा में किसी दल का स्पष्ट बहुमत नहीं हो

(ii) यदि लोकसभा के बहुमत प्राप्त दल का नेता त्यागपत्र दे दे तथा प्रधानमंत्री न बनना चाहे और उस दल में कोई निश्चित नेता न हो तो राष्ट्रपति स्वविवेक से किसी व्यक्ति को प्रधानमंत्री पद ग्रहण करने के लिए आमंत्रित कर सकते हैं और

(iii) राष्ट्रीय आपात के समय राष्ट्रपति लोकसभा को विघटित कर किसी व्यक्ति को ~~प्रधानमंत्री पद ग्रहण करने के लिए आमंत्रित~~ व अल्प समय के लिए प्रधानमंत्री नियुक्त कर सकता है।

अभी तक भारत में प्रधानमंत्री की नियुक्ति तथा चयन के विश्लेषण से यह स्पष्ट है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति संसद के दोनों सदनों से भी हो सकती है, क्योंकि श्रीमती इन्दिरा गांधी जब प्रधानमंत्री 1966 में बनी थी उस समय वह राज्यसभा की सदस्या थी।

कार्यकाल — संविधानतः प्रधानमंत्री का कार्यकाल राष्ट्रपति की कृपा पर आश्रित है लेकिन व्यवहार में प्रधानमंत्री तब तक अपने पद पर बना रहता है जब तक उसे लोकसभा के बहुमत का समर्थन प्राप्त रहता है। यदि लोकसभा चाहे तो अविश्वास का प्रस्ताव पारित कर उसे अपने पद से अपदस्थ कर सकती है। यदि सत्तारूढ़ दल में आंतरिक विद्रोह हो तो राष्ट्रपति परिस्थिति का नाजायज फायदा उठाकर प्रधानमंत्री को पदच्युत कर सकता है। यदि प्रधानमंत्री जिद्दी हो जाय तो वह स्वयं राष्ट्रपति

से लोकसभा को भंग करवा सकता है। अगर वो लोकसभा की अवधि 5 वर्ष की है इसलिए प्रधानमंत्री भी 5 साल तक अपने पद पर बना रहता है।

योग्यताएँ — भारतीय संविधान में कहीं भी प्रधानमंत्री पद के लिए किसी योग्यता का उल्लेख नहीं किया गया है। उसके सम्बन्ध में सिर्फ इतना कहा गया है कि उसे लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होना चाहिए और संसद के किसी सदन का सदस्य होना चाहिए फिर भी, प्रधानमंत्री के लिए कुछ वैयक्तिक गुणों तथा चारित्रिक विशेषताओं का होना आवश्यक है। उसमें व्यक्तित्व नेतृत्व की क्षमता होनी चाहिए और अपने विरोधियों को मिलाकर कुशलता से काम करने का गुण होना चाहिए। उसका व्यक्तित्व निखरा हुआ तथा गतिशील होना चाहिए। इसके अलावा उसमें आतिथ्य, निर्भीकता, साहस, वाक्पटुता, भावुकता, तेज स्मरणशक्ति, बुद्धि, शान्ति, धैर्य, समझदारी, देशभक्ति आत्मविश्वास तथा विनम्र भावनाओं का ज्ञान होना चाहिए

शपथ, वेतन-भत्ते — प्रधानमंत्री को अपना पद ग्रहण करने के पूर्व अन्य मंत्रियों की तरह ही राष्ट्रपति के समक्ष गोपनीयता, संविधान की रक्षा, भारत की प्रभुसत्ता में विश्वास तथा अपने कर्तव्यों को निष्ठापूर्ण ढंग से सम्पादित करने के सम्बन्ध में शपथ लेनी पड़ती है। प्रधानमंत्री और मंत्रियों के वेतन के सम्बन्ध में अनुच्छेद 75(6) में कहा गया है कि "मंत्रियों के वेतन और भत्ते ऐसे होंगे जो संसद, विधि द्वारा समय-समय पर अवधारित करे और जब तक संसद इस प्रकार अवधारित नहीं करती तब तक ऐसे होंगे जो दूसरी अनुसूची में विनिर्दिष्ट हैं। इसके अलावा, उसको रहने के लिए एक सरकारी आवास (भवन) अन्य सुविधाएँ, सचिवालय इत्यादि प्राप्त होते हैं।